भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 766
गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) विमानपत्तन, नई दिल्ली में अग्निकांड की घटना

766. श्रीमती महुआ मोइत्राः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) विमानपत्तन, नई दिल्ली के टर्मिनल-3 पर एक विमान के पास खड़ी एक बस में आग लग गई;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या आग लगने के कारणों का पता लगाने और जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई जांच शुरू की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या आईजीआई विमानपत्तन, नई दिल्ली पर पहले भी ऐसी ही घटनाएँ हुई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा अग्नि सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): दिनांक 28.10.2025 को एआई-315 के उड़ान चालक दल को लेने के लिए एआईएसएटीएस यात्री कोच को स्टैंड सी32, टर्मिनल 3, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली में पार्क किया गया था। इस दौरान कोच में धुआं और उसके बाद आग देखी गई। आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और तत्पश्चात उसे पूर्ण रूप से बुझा दिया गया।
आग लगने के समय कोच के अंदर कोई यात्री या कर्मचारी नहीं था। इस घटना में किसी भी कार्मिक को कोई चोट नहीं आई थी। प्रारंभिक निष्कर्षों से, घटना का सर्वाधिक संभावित कारण इंजन बे के भीतर यांत्रिक या विद्युत खराबी को जिम्मेदार ठहराया गया जिसके कारण अंततः आग लग गई।
(घ): पिछले एक वर्ष में आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली में कोच में इस तरह से आग लगने की कोई घटना सामने नहीं आई है।
(ङ): हवाईअड्डों पर अग्नि सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने और अग्नि संबंधी घटनाओं को रोकने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा नागर विमानन अपेक्षाएँ, धारा 4, श्रृंखला ख, भाग I के अनुसार एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना विकसित की गई है और स्थापित प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त एयरोड्रोम के वार्षिक निगरानी निरीक्षण के दौरान डीजीसीए द्वारा प्रक्रियाओं की संपरीक्षा की जाती है। ऐसे निरीक्षणों के दौरान पाई गई किसी भी कमी को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एयरोड्रोम प्रचालक को सूचित किया जाता है। आज्ञापित अपेक्षाओं के लंबे समय तक गैर-अनुपालन के मामलों में प्रवर्तन नियमावली के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है।

*****